UAPA के तहत 14 दिन की समय-सीमा

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

हाल ही में **सर्वोच्च न्यायालय ने** फैसला सुनाया है कि **विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967** के तहत **अभियोजन की मंजूरी** देने के लिये **14 दिन की समय-सीमा अनिवार्य** है , न कि विवेकाधीन।

- **राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को** इस समय-सीमा के तहत कार्य करना आवश्यक है।
- **UAPA नियम 2008 में "करेगा (shall) "** शब्द का प्रयोग किया गया है , जो **निर्धारित 14 दिनों** के अंदर मंजूरी प्रक्रिया को पूरा करने के स्पष्ट विधायी इरादे को दर्शाता है।
  - **इसमें स्वतंत्र समीक्षा (7 दिन)** और **सरकारी निर्णय (7 दिन)** दोनों शामिल हैं।
- 14 दिन की समय-सीमा का **पालन न करने पर गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं,** जैसे **आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना।**
- यह निर्णय भावी रूप से लागू होगा, अर्थात यह पिछले मामलों को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन **भविष्य में सभी मामलों में इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिये।**
- इससे पहले बॉम्बे और झारखंड उच्च न्यायालयों ने **14 दिन की समय-सीमा** को **महज विवेकाधीन माना था।**
- UAPA भारत सरकार के लिये आतंकवाद से प्रभावी ढंग से **निपटने के लिये एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है।**

और पढ़ें: विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/14-day-timeline-under-uapa